




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK59508808730768S
Certificate Issued Date : 28-Jan-2020 03:28 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1231804/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK123180421690324344040S
Purchased by : MEENU MEHTA
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : MEENU MEHTA
Second Party : na
Stamp Duty Paid By : MEENU MEHTA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



RAJU VERMA
STAMP VENDOR
L.C. No. 172
DEHRADUN

-----Please write or type below this line-----



Meenu Mehta

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

परिशिष्ट-3

शपथ पत्र

समक्ष:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद देहरादून।

मैं/हम मीनू मेहता पत्नी श्री अश्वानी मेहता निवासी 333 ए0, जौहरी रोड, जाखन, राजपुर रोड देहरादून घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
2. यह कि मैं /हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता) 333 ए0, जौहरी रोड, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षो 3(तीन) (कक्षों की संख्या) को अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक हूँ।
3. यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नहीं है।
4. यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है, अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नहीं है/ स्वीकृत नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटको हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/ उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होऊंगा/होऊंगी/होंगे।

-घोषणा-

असक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूँ/करते हैं।

नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता

Meenu Mehta



ATTESTED
Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY
Dist.-Dehradun.